


महेन्द्र फर्द अहकाम  
बनाम श्रवणी.

नाम न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बस्सी प्रार्थना पत्र 95/2023  
आजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	08.05.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1003 एवं 1005 है० स्थित ग्राम ग्वालिनी, पटवार हल्का माधोगढ, भू०अ०नि० तूंगा, तह० तूंगा जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आराजी पर मूलवाद 107/2023 उनवान् महेन्द्र बनाम श्रवणी के निर्णय तक में किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं करें एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> सहायक कलेक्टर बस्सी, जिला जयपुर</p>	